



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). थाना मानिकपुर अंतर्गत ग्राम गढ़चपा मजरा पतेरिया निवासी युवक द्वारा फांसी लगाये जाने के सम्बन्ध में -
- दिनांक 27.09.2026 को दोपहर में थाना मानिकपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढ़चपा मजरा पतेरिया निवासी एक 22 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगा ली गई है।
* सूचना पर थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया।
- आज दिनांक 28.09.2026 को परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जुलाई माह में उनके मृतक पुत्र के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 108/2026 धारा 352, 351(3) BNS व 3(1)द SC/ST Act का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके दबाव में वह मानसिक तनाव में था। दिनांक 25.09.2026 को वह काम से घर लौटा था और उस दिन घर के बगल के कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था, इन्हीं सब बातों से आहत होकर उसने फांसी लगा ली।
* परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 155/26 धारा 108, 352, 351(3) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रोहित द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जे0एम0 मऊ श्री एस आनंद द्वारा आज दिनांक 28.09.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 344/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र ओम नारायण पाण्डेय निवासी कोल मजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 02 परिवारों में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका कल्पना पत्नी रामऔतार निवासी बहेरी थाना गिरवा जनपद बांदा द्वारा अपने पति रामऔतार के विरुद्ध एवं आवेदिका सीमा देवी पत्नी ठाकुरचंद निवासी रमपुरवा पोस्ट भरतकूप थान भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति विनय सिंह के विरुद्ध भरण पोषण न देने, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2. महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

4.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(5). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार के मार्गदर्शन में 30 नवंबर 2020 दशरथ सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लालू पुत्र बिरजू कोल निवासी मारकुंडी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुंडी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.30 नवंबर श्री दशरथ सिंह

2.आरक्षी नीतीश कुमार

3.महिला मुख्य आरक्षी ऋतु झां

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 28.09.2026 को थाना एचटी/विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा चाइल्ड लाइन 1098 की संयुक्त टीम द्वारा पुरुषोत्तम द्विवेदी इंटर कॉलेज मऊ में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को पोक्सो एक्ट 2012 के विधिक प्रावधानों, बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नम्बर 1098, 1090, 112, 102, 108 के बारे में अवगत कराया गया।

(7). आज दिनांक 28.09.2026 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु कस्बा मानिकपुर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मिश्रित आबादी एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा शराब की दुकान एवं 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(8). आज दिनांक 28.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने - अपने थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।